OFFICE OF THE PRINCIPAL,
GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, PURNEA
Line Bazar Purnea – 854301 (Bihar)

(An Institution of Govt. of Bihar)

Write us : govt.mcpurnea@gmail.com

Visit us : https://gmchpurnea.com

Letter No. ....27......../ Date :..02.../..02..../2022

प्रेशक– डा0 इफतेखार अहमद
प्राचार्य
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियाँ

सेवा में,
निदेशक
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना।

<u>विशय– विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में।</u>

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करते हुए कहना है कि राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियाँ हेतु आउटसोर्स सेवा निविदा की शर्ते छः प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं C.D एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अतएव अनुरोध है कि 03 (तीन) दैनिक समाचार पत्रों में यथाशीध्र प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–

01. निविदा की शर्ते छः प्रति
02. C.D एक प्रति

विश्वासभाजन

2-2-2022

प्राचार्य
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियाँ

ज्ञापांक....27......../ पूर्णियाँ / दिनांक....02...... / 02 / 2022

प्रतिलिपि– सरकार के अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2-2-2022

प्राचार्य
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियाँ

OFFICE OF THE PRINCIPAL,
GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, PURNEA

Line Bazar Purnea – 854301 (Bihar)

(An Institution of Govt. of Bihar)

Write us : govt.mcpurnea@gmail.com

Visit us : https://gmchpurnea.com

Letter No. ………………../　　　　Date :………/………/2021

कार्यालयः– प्राचार्य
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णियाँ।
अल्पकालिन निविदा (सूचीवद्ध हेतु) आमंत्रण सूचना।

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णियाँ में आवश्यक्तानुसार सुरक्षाकर्मी, साफ सफाई एवं अन्य सेवा वाह्य स्त्रोत से लेने हेतु फर्म/एजेन्सी को सूचीवद्ध हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

महाविद्यालय एवं अस्पताल परिसर हेतु सुरक्षा कर्मियों की सेवा, सफाई कर्मियों की सेवा में अनुभवी एवं सक्षम सेवा प्रदाता फर्म/ एजेन्सी से निबंधित डाक/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 19.02.2022 तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दो प्रकार की होगी (क) तकनिकी निविदा, (ख) वित्तीय निविदा, दोनों प्रकार की निविदा अलग–अलग मुहरबंद होना चाहिए तथा दोनों लिफाफों को पुनः बड़े लिफाफे में मुहरबंद कर लिफाफा के उपर आउटसोर्सिग के आधार पर कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निविदा स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।

इच्छुक निविदादाता द्वारा उपरोक्त कार्यों के लिए निविदा प्रपत्र एवं विस्तृत सेवा शर्तों की प्रति अधेहस्ताक्षरी कार्यालय में निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के पूर्व के कार्य दिवस को 10:00 (Am) बजे से 05:00 (Pm) बजे तक एक लिखित आवेदन देकर प्राप्त कर सकते हैं, तथा उक्त निविदा प्राचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णियाँ 854301 के पते पर निबंधित डाक/स्पीट पोट के माध्यम से दिनांकः– 19.02.2022 के 05:00 (Pm) बजे तक भेज सकते हैं। साथ हीं महाविद्यालय के बेवसाइट https:gmchpurnea.com पर देखा जा सकता है। दूरभाष के माध्यम से निविदा खोलने संबंधी सूचना दी जाएगी।

2.2.2k22

प्राचार्य

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय,

अस्पताल, पूर्णियाँ।

(क) तकनिकी निविदा

तकनिकी निविदा के साथ निम्नलिखित कागजात संग्लन करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा मान्य नही होगा।

(i) निविदादाता को अग्रधन राशि के रूप में 10,00,000/-(मो0 दस लाख) रूपये का ''डिमांड ड्राफ्ट'' प्राचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पूर्णियाँ के पदनाम से किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत तथा पूर्णियाँ में भुगतेय हो, संलग्न होना चाहिए।

(ii) निविदादाता को निम्नलिखित निबंधन प्रमाण -पत्र संलग्न करना होगा।

(क) कम्पनी के लिए कम्पनी एक्ट 1956/2013 के अन्तर्गत (ROC) द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण -पत्र की छायाप्रति।

(ख) पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनरशिप एक्ट-1932 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार (बिहार सरकार) द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।

(ग) सोसाईटी/ट्रस्ट के लिए सोसाईटी निबंधन एक्ट- 1860/ भारतीय ट्रस्ट -1882 के तहत निबंधन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।

(घ) प्रोपराईटरशिप फर्म के लिए दुकान एवं प्रतिष्ठान का प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।

(iii) निविदादाता का पैन कार्ड, आधार कार्ड, वस्तु एवं सेवा कर, निबंधन लाइसेंस के साथ GST जमा किए जाने संबंधी अद्यतन प्रमाण की छायाप्रति।

(iv) निविदादाता के ई0पी0एफ0 निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ विगत 6 माह (40कर्मीयों) का ECR की अद्यतन छायाप्रति।

(v) निविदादाता को ई0 एस0 आई0 निबंधन की छायाप्रति के साथ विगत 6 माह (40 कर्मीयों)का ई0एस0 आई0 का employee details की अद्यतन छायाप्रति।

(vi) निविदादाता को सुरक्षा सेवा कार्य हेतु PSARA Act 2005 के अन्तर्गत गृह विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत सुरक्षा गार्ड का अद्यतन लाइसेंन्स की छायाप्रति।

(vii) निविदादाता को सरकारी (भारत सरकार /राज्य सरकार) अर्धसरकारी संस्थान में विगत पाँच वित्तीय वर्ष में 100 सुरक्षा गार्ड एवं साफ सफाई का अनुभव होना चहिए। जिसके लिए संस्थान द्वारा निर्गत कार्यादेश एवं कार्य-अनुभव कुशलता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा। सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में कार्य का अनुभव रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी।

2-2-2022

(viii) निविदादाता के विगत पॉच वित्तीय वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करना होगा, औसत वार्षिक टर्नओभर 20000000/–(दो करोड़ रूपये) अथ्वा औसतन विगत पॉच वित्तिय वर्षो का 10 दस करोड़ होना अनिवार्य होगा।

(ix) निविदादाता को विगत पाँच वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न का छायाप्रति संलग्न करना होगा। जो कि अंकेक्षण प्रतिवेदन के समरूप है।

(x) निविदादाता द्वारा संस्था/फर्म के काली सूची में दर्ज नहीं होने से संबंधित शपथ पत्र (जो की प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी से होना चाहिए) मूल प्रति में जमा करना होगा।

(xi) निविदादाता को इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना होगा कि निविदा में संलग्न किए गए शपथ पत्र एवं अन्य संबंधित कागजात गलत पाया जाता है तो दर अनुमोदित होने के पश्चात् भी अनुमोदित दर रद्द करने एवं अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु प्राचार्य सक्षम होंगे। (सभी शपथ पत्र प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी से होना चाहिए)

(xii) निविदादाता फर्म का मालिक/पार्टनर/डाईरेक्टर का पूर्ण पता फोन नम्बर/मोबाईल नंबर संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(xiii) संस्था/फर्म/एजेन्सी को ISO/OHSAS से प्रमाणित होना चाहिए। प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

(xiv) निविदादाता को संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

(xv) निविदादाता को 10000000 (एक करोड़ रूपये) का Bank Solvency Certificate देना अनिवार्य होगा, जो कि निविदा प्रकाशन के बाद की तिथि का होना चाहिए

2-2-2022

(ख) वित्तीय निविदा :–

(A) वित्तीय निविदा में **सुरक्षा सेवा हेतु**– भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड तथा सिविल सुरक्षा गार्ड एवं सुपरवाईजर का दर तथा **तकनिकी एवं अन्य कर्मियों** की सेवा हेतु योग्यतानुसार दर अलग–अलग देना होगा। न्यूनतम दर वाले निविदादाता को अनुशंसित कर सूचीवद्ध किया जाएगा। अनुभवी फॉर्म/निविदादाता को प्राथमिकता दी जाएगी।

(B) चयनित निविदादाता को उपरोक्त कार्य के लिए अनुबंध हस्ताक्षरित करना होगा। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर अवधि विस्तार तथा कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर अनुबन्ध रद्द करने का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित रहेगा।

***** ANNEXURE– 6** के नियमों का पालन निविदादाता को वित्तीय निविदा में करना होगा।

नोट :–

1. वित्तीय निविदा का दर शब्द एवं संख्या में लिखा होना चाहिए तथा शब्द एवं संख्या के दर में किसी प्रकार का अन्तर या विवाद होता है, तो शब्द में लिखा दर मान्य होगा।
2. निविदादाता का दर बराबर (TIE) हो जाने की स्थिति में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में कार्य किये गए निविदादाता को वरीयता दी जाएगी एवं अधिक टर्नओभर वाले निविदादाता को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसका निर्धारण प्राचार्य द्वारा किया जाएगा।
3. निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य प्रारम्भ नही करने एवं कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर L2 या L3 निविदादाता को प्रथम न्यूनतम अनुमोदित दर पर आदेश निर्गत किया जाएगा। वित्तीय निविदा के साथ सफाई कार्य हेतु मशीन उपकरण एवं सामग्री का विवरण संलग्न करना अनिवार्य है।
4. निविदादाता एक से अधिक निविदा नहीं दे सकते हैं, किसी भी निविदादाता का एक से अधिक निविदा पाए जाने की स्थिति में उनका सभी निविदा रद्द कर दिया जाएगा।
5. निविदा स्पष्ट अक्षरों में लिखित होना चाहिए लिप्तलेखन/उदघर्षण वाले निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. प्राप्त निविदा को क्रय समिति द्वारा प्राचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णियाँ के कार्यालय वेश्म में खोला जाएगा। निविदा खोलने की तिथि अलग से निर्धारित की जाएगी। निविदादाता की अनुपस्थिति में भी क्रय समिति द्वारा निविदा खोला जाएगा।
7. जिस फर्म का तकनिकी निविदा क्रय समिति द्वारा योग्य पाया जाएगा, उन्हीं का वित्तीय निविदा खोला जाएगा एवं सफल निविदादाता को 35,00,000/– (मो0 पैंतीस लाख) रूपये मात्र का बैंक गारंटी एकरारनामा से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।

2.2.2022

8. सुरक्षा गार्ड एवं सफाई कर्मी से 24 धंटे तीन पाली में आवश्यक्तानुसार महाविद्यालय एवं अस्पताल के विभिन्न कार्यालय वेश्म/विभाग/भंडार तथा चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में सुरक्षा एवं साफ–सफाई से संबंधित सेवाए ली जाएगी तथा अन्य कर्मियों से नियमानुसार एवं आवश्यक्तानुसार सेवा ली जाएगी। **सफाई से संबंधीत कार्यो में उपयोग होने वाले उपकरण, रसायन एवं आवश्यक सामग्रीयों की आपूर्ति निविदादाता को करना होगा एवं प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से वित्तिय निविदा में दर कोट करना अनिवार्य होगा।**

9. चयनित निविदादाता से सुरक्षा गार्ड, सेनेट्री (फिंटिग) कर्मी (पूर्ण प्रभार), रात्रि प्रहरी, टाईपिस्ट, हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर मिस्त्री, बिजली मिस्त्री एवं माली इत्यादि कर्मियों की सेवा आवश्यकनुसार ली जा सकती है। सफाई से संबंधित कार्यो में सफाई कर्मी सहित उपयोग होने वाले उपकरण रसायन एवं आवश्यक सामग्रियों आपूर्ति निविदादाता को करना होगा एवं प्रतिवर्ग मीटर (बाहरी परिसर एवं भीतरी परिसर) के हिसाब से वित्तीय निविदा में दर कोट करना अनिवार्य होगा।

10. आवश्यक्तानुसार महिला कर्मियों की सेवा ली जा सकती है।

11. आवश्यक्तानुसार कर्मियों की संख्या बढ़ाई/घटाई जा सकती है, इसके लिए प्राचार्य स्वतंत्र होंगे।

12. प्राचार्य को बिहार के किसी भी सरकारी संस्थान में असंतोशजनक कार्य करनेवाले निविदादाता के निविदा को अस्वीकार करने का एंव अति–अनुभवी को प्राथमिकता देने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

13. सभी कर्मियों को निर्धारित पोशाक एवं कंपनी के प्रोपराईटर के प्रतिहस्ताक्षर से निर्गत परिचय–पत्र धारण करना होगा।

14. ड्यूटी के समय कोई भी कर्मी नशे की हालत में पकड़े जायेंगे तो उन्हें तत्काल कार्य से मुक्त करते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी।

15. सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का अक्षरशः पालन करना होगा।

16. निविदा के किसी भी अंश को संशोधित करने, या सभी निविदा को आंशिक रूप से स्वीकार करने या पूर्ण रूपेण अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी प्राचार्य/ क्रय समिति को सुरक्षित होगा।

17. **विपत्र का भुगतान आवंटन उपलब्ध रहने पर किया जाएगा, परन्तु सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी एवं अन्य कर्मीयों का भुगतान निविदादाता को प्रत्येक माह नियमित रूप से सरकारी मानकों के अनुरूप करना आवश्यक होगा। भुगतान में विलम्ब होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा। नियमानुसार कटौती के उपरान्त भुगतान किया जाएगा।**

18. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जिला स्तर पर पूर्णियाँ, न्यायालय तथा राज्य स्तर पर, पटना उच्च न्यायालय होगा।

2-2-2022

19. तकनिकी निविदा में समर्पित कागजात अपठनीय रहने की स्थिति में उस अंश की निविदा अस्वीकृत मानी जाएगी। निविदादाता द्वारा निविदा में प्रस्तुत किये गये आवश्यक प्रमाण–पत्रों के सत्यापन निर्गत संस्थान से कराने के पश्चात ही कार्य किये गये दावे की राशि का भुगतान किया जायेगा यदि प्रमाण–पत्र सत्यापन के दौरान गलत पाया जाता है तो अग्रधन की राशि के साथ–साथ उनके द्वारा किये गये कार्य के दावे की राशि भी जब्त कर ली जायेगी एवं उचित कानूनी कार्यवाही कि जायेगी।

20. चयनित निविदादाता को प्रत्येक कर्मी का नाम, पिता का नाम, पूरा पता, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र, फोटो, स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र, ई0 पी0 एफ0 / ई0 एस0 आई0 नम्बर सम्पूर्ण सूची के साथ कार्यालय में जमा करना होगा।

21. विपत्र के साथ ई0 एस0 आई0 एवं ई0 पी0 एफ0 कटौती जमा रसीद की छायाप्रति संलग्न करना होगा। उपस्थिति विवरणी तथा कार्य संतोषजनक प्रमाण–पत्र विभागाध्यक्ष के द्वारा प्रस्तुत के उपरान्त ही विपत्र भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

22. निविदादाता तकनिकी निविदा एवं वित्तीय निविदा में जो भी कागजात समर्पित करेंगे उसके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता द्वारा स्व–अभिप्रमाणित होना चाहिए एवं पृष्ठांकित (पेजिंग) होना चाहिए तथा संलग्न कागजातों का चेक लिस्ट भी होना चाहिए।

23. विपत्र के साथ ई0एस0आई0, ई0पी0एफ0 एवं GST की जमा रसीद की छायाप्रति संलग्न नहीं करने पर भुगतान रोक दिया जाएगा।

24. उपरोक्त शर्तों को मानने वाले निविदादाता निविदा में भाग ले सकते है।

प्राचार्य
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
अस्पताल, पूर्णियाँ।